न्यायालय धर्मेन्द्र कुमार तिवारी जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–07,
भोजपुर, आरा, बिहार।
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–2032 / 2026
आरा मुफ़्सिल थाना कांड संख्या -187 / 2026 से उत्पन्न
अन्तर्गत धारा– 126(2),115(2),74,352,351(2),3(5) of B.N.S.
(आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा–482 BNSS)

1. विरेन्द्र ठाकुर
2. राजकुमार ठाकुर .....आवेदकगण।

बनाम्

बिहार राज्य जरिये लोक अभियोजन .....विपक्षी।

आवेदकगण की ओर से – विद्वान अधिवक्ता, कालिका शरण ओझा ।
अभियोजक की ओर से – वि0 अपर लोक अभियोजक श्रीमती विद्यावती देवी।

आदेश

20.07.2026

1. प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन धारा 482 BNSS के अंतर्गत आवेदक अभियुक्तगण विरेन्द्र ठाकुर एवं राजकुमार ठाकुर की ओर से दाखिल किया गया है। यह मामला आरा मुफ़्सिल थाना कांड संख्या– 187 / 2026 अन्तर्गत धारा– 126(2),115(2),74,352,351(2),3(5) of B. N. S. से उद्भूत हुआ है।

2. अग्रिम जमानत आवेदन आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा संचालित किया गया। आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता की ओर से बहस किया गया कि आवेदकगण की ओर से इस अग्रिम जमानत आवेदन को दाखिल करने के पूर्व इस न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय पटना में अग्रिम या नियमित जमानत हेतु कोई आवेदन दाखिल नहीं किया है ना ही लंबित है। आवेदकगण निर्दोष हैं और इनके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है तथा उन्हें झूठा फसाया गया है। अभियोजन वाद बिल्कुल गलत एवं झूठा है। आवेदक के विरूद्ध लगाए गए आरोप धारा 126(2),115(2),74,352,351(2),3(5) of B. N. S. का केस उस पर नहीं बनता है। आवेदक अभियुक्तगण को पुलिस के द्वारा गिरफ़्तारी की आशंका बनी हुई है। ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान की जाए।

3. दूसरी ओर, विपक्षी की ओर से उपस्थित विद्वान अपर लोक अभियोजक के द्वारा जमानत निवेदन का विरोध किया गया और कथन किया गया कि इस मामले में अभियुक्त आवेदकगण के विरूद्ध अनुसंधान जारी है और यह मामला गम्भीर है। प्राथमिकी के अनुसार सूचिका शांति कुंवर का संक्षिप्त कथन यह है कि विरेन्द्र ठाकुर, राजकुमार ठाकुर एवं चार आदमी दिनांक 01.06.2026 को समय करीब 3:00 बजे सूचिका के घर में घुस कर सूचिका एवं सूचिका की सास का झोटा पकड़ कर खीच कर दरवाजे पर लाये और गंदी–गंदी गाली देते हुए बोले कि अपने पुत्र चिंटू को बुलाओं नहीं तो तुम्हारी जान मारकर फेंक देगें या जान मरवा देंगे। विरेन्द्र ने सूचिका का ब्लाउज फाड दिया जिससे सूचिका बेपर्दा हो गयी। इस आधार पर अभियोजन की ओर से निवेदन किया गया कि आवेदक के अग्रिम जमानत आवेदन को खारिज किया जाय।

4. उभय पक्षों को सुना। जमानत आवेदन एवं जमानत अभिलेख पर उपलब्ध कांड दैनिकी का अवलोकन किया, जिससे विदित होता है कि आवेदकगण के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 126(2),115(2),74,352,351(2),3(5) of B. N. S. में मामला दर्ज है। जिसमें 74 of B.N.S. को छोड़कर शेष जमानतीय है। कांड दैनिकी की कंडिका 29 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादिनी ने कोई इलाज की मेडिकल रिपोर्ट अनुसंधानकर्ता को उपलब्ध नहीं कराया है जबकि उसने कहा है कि मैने निजी डॉक्टर से इलाज कराया है। कांड दैनिकी की कंडिका 22 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदक अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

अतः उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों के आलोक में दोनों आवेदक अभियुक्त विरेन्द्र ठाकुर एवं राजकुमार ठाकुर को आदेश की तिथि से 04 सप्ताह के भीतर विचारण न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करने पर मो0 10,000/—रूपये के दो समान राशि के प्रतिभूओं सहित बंधपत्र दाखिल किए जाने पर धारा 482(2) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में दी गयी शर्तो के अधीन अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

लेखापित
ह0
(धर्मेन्द्र कुमार तिवारी)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश—07,
भोजपुर, आरा, बिहार।